निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंजू शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 129/2011 आर0ओ0 दिनांक : 02.11.2020

अनवान

1. लच्छीराम पिता गमेर जी जाति जाट आयु 60 साल निवासी कोशीथल तह0 भदेसर जिला चित्तौडगढ
2. नारायण पिता भुवाना जाति जाट आयु 60 साल निवासी कोशीथल तह0 भदेसर जिला चित्तौडगढ मृतक के बजाय

2/1.श्रीमती गटटुबाई बेवा नारायण जी जाति जाट आयु 65 साल निवासी कोशिथल तह0 भदेसर जिला चित्तौडगढ राज0 (नाम हटाया गया)

2/2.उदयराम पिता नारायण जी जाति जाट आयु 45 साल निवासी कोशिथल तह0 भदेसर जिला चित्तौडगढ राज0 (नाम हटाया गया)

2/3.रतन पिता नारायण जी जाति जाट आयु 35 साल निवासी कोशिथल तह0 भदेसर जिला चित्तौडगढ राज0 (नाम हटाया गया)

2/4.श्रीमती देऊबाई पुत्री नारायण जी पत्नी रामेश्वर जी जाति जाट आयु 50 साल निवासी कोशिथल हाल मु0 गुल जी का खेडा तह0 भदेसर (नाम हटाया गया)

.....वादीगण

।। बनाम ।।

1. भैरूलाल पिता शंकरलाल जी जाति जाट आयु 25 साल निवासी कोशिथल तह0 भदेसर
2. मु0रतनी पिता शंकरलाल जी जाति जाट आयु 22 साल निवासी धनेत तह0 भदेसर राज0
3. मु0 पप्पुडी पिता शंकरलाल जी जाति जाट आयु 12 साल नाबालिग जरिये सरपरस्त माता मांगीबाई बेवा शंकरलाल जी जाति जाट आयु 55 साल निवासी कोशिथल तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर तहसील भदेसर

.....प्रतिवादीगण

दावा– धारा 88,188 रा0का0अधि0वाद खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर ★ जिला - चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.05 12:55:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौडगढ (राज.)

Scanned by TapScanner

उपस्थित– श्री सुरेन्द्र कुमार औझा़ा एंव अनुराग औझा

प्रतिवादीगण की और से:– एक तरफा

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है वादीगण द्वारा एक वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य इस प्रकार हैं कि :– मोजा कोशिथल तह0 भदेसर की खाता सं0 73 की आराजी नं0 106/1 रकबा 1 बिघा 17 बिस्वा लगानी 1.62 रूपये स्थित हैं, जिसके पडोस पूर्व में–वादीगण की दीगर आराजीयात, पश्चिम में भी वादीगण की दीगर आराजीयात, उत्तर में भगवान जी, मांगु जी जाट की आराजीयात व दक्षिण में– वादीगण का कुआ हैं। इन चारो पडोसो के बीच की भूमि जो 1 बिघा 17 बिस्वा है, उक्त भूमि 650/–रूपये में संवत 2025 में रामा जी ने वादीगण को विक्रय कर दी और तभी से वादीगण का इस भूमि पर कब्जा चला आ रहा हैं। प्रतिवादीगण का इस भूमि से कोई ताल्लुक, संबंध, सरोकार नहीं हैं।

वादीगण का पिछले 43 साल से इस भूमि पर लगातार बिना किसी बाधा के विदाउट एनी इन्ट्रप्शन कब्जा चला आ रहा है। फिर भी प्रतिवादीगण नहीं मान रहे है इस भूमि के संबंध में जो भी स्वत्व अधिकार प्रतिवादीगण को प्राप्त थे वे सभी स्वत्व अधिकार लगातार कब्जे से एडवर्स पजेशन के माध्यम से वादीगण में निहित हो चुके है। वादीगण लगातार कब्जे की वजह से इस भुमि के खातेदार काश्तकार हो चुके है। प्रतिवादीगण बिना किसी कानूनी अधिकार के विवादीत भूमि से जबरन वादीगण को बेदखल करना चाहते है और राजस्व अभिलेखो में अपना नाम दर्ज होने के कारण इस भूमि को अन्य व्यक्तियो को खुर्द बुर्द हस्तांतरीत करना चाहते है, जिसका उनको कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं।वादीगण ने प्रतिवादीगण को खुब समझाया परन्तु वे नहीं मान रहे है, इसलिये वादीगण को यह वाद प्रस्तुत करना पडा। अतः वाद वादीगण स्वीकार फरमाया जावे ।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। बरोज पेशी प्रतिवादीगण बाद तामील न्यायालय में उपस्थित हुए।

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.05 12:55:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

प्रतिवादीगण की और से जवाब दावा प्रस्तुत कर वादीगण के वाद के तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि वादपत्र की चरण सं0 1 में अंकित आराजीयात प्रतिवादीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की होने का कथन किया और आराजी विक्रय के कथन को अस्वीकार किया और वादीगण की खातेदारी घोषित करने से भी इंकार किया और वादीगण का वाद खारिज करने की प्रार्थना की।

प्रस्तुत वाद एवं जवाबदावा के आधार पर निम्न तनकी का निर्माण किया गया

1. क्या विवादित कृषि भूमि वाद पत्र की चरण संख्या 1 के अनुसार संवत् 2025 को रामा ने वादीगणाों को विक्रय कर दी हे । विवादित भूमि पर वादीगणों का कब्जा चला आ रहा है जिसे 43 साल हो गये है इसलिए खातेदार कायम हो गये हे ।
2. क्या वादीगण प्रतिवादी के स्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित कराने का अधिकारी है ।
3. क्या वादीगणों का दावा आर्ड 32 नियम 3 सी0पी0 के प्रावधानों विपरीत होने से दावा चलने योग्य नहीं है ।
4. सहायता ।

दौराने दावा वादी सं0 2 नारायण फौत होने से न्यायालय के आदेश से उसके वारिसान का नाम वादीगण के रूप में जोडा गया परन्तु वादी सं0 2 के वारिसान इस प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहते है, इसलिये प्रकरण से वादी सं0 2 के वारिसान का नाम विलोपित कर वादी सं0 1 के नाम से प्रकरण की कार्यवाही चाहते हैं।

प्रतिवादीगण दौराने वाद कार्यवाही अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत 2065 से 2068, प्रदर्श 2 खसरा गिरदावरी संवत 2011, प्रदर्श 3 खसरा गिरदावरी संवत 2013 से 2016, प्रदर्श 4 खसरा गिरावरी संवत 2021 से 2024, प्रदर्श 5 खसरा गिरावरी संवत 2021 से 2024, प्रदर्श 6 खसरा गिरावरी संवत 2025 से 2028, प्रदर्श 7 खसरा गिरदावरी संवत 2025 से 2028, प्रदर्श 8 खसरा गिरावरी संवत 2029 से 2032, प्रदर्श 9 खसरा गिरावरी संवत 2029 से 2032, प्रदर्श 10 खसरा गिरावरी संवत 2033 से 2037, प्रदर्श 11 खसरा गिरदावरी संवत 2033 से 2036,

भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.05 12:55:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

प्रदर्श 12 खसरा गिरावरी संवत 2037 से 2040, प्रदर्श 13 खसरा गिरावरी संवत 2037 से 2040, प्रदर्श 14 खसरा गिरावरी संवत 2041 से 2044, प्रदर्श 15 खसरा गिरावरी संवत 2041 से 2044, प्रदर्श 16 खसरा गिरावरी संवत 2047 से 2048, प्रदर्श 17 खसरा गिरावरी संवत 2047 से 2048, प्रदर्श 18 खसरा गिरावरी संवत 2049 से 2052, प्रदर्श 19 खसरा गिरावरी संवत 2049 से 2052 एवं प्रदर्श 20 मुल बही का नामा प्रस्तुत किये।

वादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य में पी0ड0 1 लच्छीराम स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत कर वाद में वर्णित अनुतोष अनुसार दावा डिक्री करने के संबंध में सशपथ कथन किये एवं अन्य गवाह गेहरू, गवाह गंगाराम के सशपथ लिखित बयान प्रस्तुत किये व वाद पत्र में वर्णित अनुसार दावा स्वीकार करने बाबत् बयान प्रस्तुत किये हैं।

प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावें के समर्थन में कोई दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की न ही प्रकरण में भाग लिया गया है इसलिए प्रस्तुत जवाबदावा अपोषणीय हो जाता है तथा तनकीवार निष्कर्श की आवश्यकता नहीं रहती है ।

लायक अधिवक्ता वादी की बहस एक पक्षीय सुनी तथा पत्रावली का प्रारम्भ से अन्त तक गहनता से अवलोकन किया, । बही लिखा एवं स्वतन्त्र गवाहों प्रस्तुत दस्तावेज से वादी ने अपना वाद बखूबी साबित कराया है खसरा गिरदावरी से कब्जे की ताईद कराई गई है

साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 में भी तीस वर्ष पुराने दस्तावेज के बारे में उपधारणा एवं स्पष्टीकरण दिया गया है कि –जहां कोई दस्तावेज जिसका तीस वर्ष पुराना होना तात्पर्चित है या साबित किया गया ऐसी किसी अभिरक्षा में से जिसे न्यायालय उस विशिष्ठ मामलें मे उचित समझता है पेश की गई है वहां न्यायालय यह उपधारित कर सकेगा कि ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर और उसका ह अन्य भाग जिसका किसी विशिष्ठ व्यक्ति के हस्तलेख में होना तात्पर्चित है उस व्यक्ति के हस्तलेख में है और निष्पादित या अनुप्रमाणित दस्तावेज होने की दशा में यह उपधारित कर करेगा ि कवह उन व्यक्तियों द्वारा सम्यक रूप से निष्पादित और अनुप्रमाणित की गई थी जिनके द्वारा उसका निष्पादित और अनुप्रमाणित होना तात्पर्चित है । दस्तावेज का उचित अभिरक्षा में होना कहा जाता है यदि वे एसे स्थान और उस व्यक्ति देखरेख मैं है जहां और जिसके पास में प्रकृत्या होनी चाहिए किन्तु कोई भी अभिरक्षा अनुचित नहीं यदि यह साबित कर दिया जावे कि उस अभिरक्षा का उदगम विधिसम्मत था या यदि उस विशिष्ठ मामलें परिस्थितियां ऐसी हो जिनमें ऐसा उद्गम अधिसम्भाव्य हो जाता है । हस्तगत मामलें में प्रस्तुत दस्तावेज चूंकि

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Sharma
Date: 2021.03.05 12:35:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

30 वर्ष से अधिक पुराना होकर जिस स्थिति में प्रस्तुत किया गया है उसी स्थिति में स्वीकार किया जाना अपेक्षित होकर उसकी वैधता पर कोई प्रश्नचिन्ह अंकित नहीं होता है । प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाबदावे के समर्थन में कोई ठोस दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने से वाद के तथ्यों की पुष्टि होती है । अतः वाद स्वीकार किया जाना उचित मानते है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद अंतिम रूप डिक्री किया जाता है कि मोजा कोशिथल तह0 भदेसर की खाता सं0 73 की आराजी नं0 106/1 रकबा 1 बिघा 17 बिस्वा लगानी 1.62 रूपये स्थित हैं, जिसके पडोस पूर्व में–वादीगण की दीगर आराजीयात, पश्चिम में भी वादीगण की दीगर आराजीयात, उत्तर में भगवान जी, मांगु जी जाट की आराजीयात व दक्षिण में– वादीगण का कुआ हैं। इन चारो पडोसो के बीच की भूमि जो 1 बिघा 17 बिस्वा भूमि के वादी क्रमांक 1 लच्छीराम की खातेदारी की घोषित की जाती है तथा राजस्व रेकार्ड में वादी लच्छीराम का नाम अमल दरामद किया जाने एवं प्रतिवादीगण का नाम विलोपित किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वो वादी के कब्जे काश्त में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे न करावे व आराजीयात खुर्द बुर्द हस्तांतरण नहीं करे न करावे व मौके कब्जे व रेकार्ड की यथावत स्थिति बनाए रखे। तहसीलदार भदेसर को आदेशित किया जाता है कि वो निर्णय डिक्री की पालना में राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें।

इसी अनुसार वाद डिक्री कतई किया जाता है, पर्चा डिक्री पृथक से मुर्तिब हो, फाईल फैसलशुमार हो, नम्बर से कम हो।

यह निर्णय आज दिनांक 02.11.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला - चित्तौड़गढ़

(अंजु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.05 12:55:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

मूल वाद में डिक्री
(व्य0प्र0सं0 के आदेश 20 के नियम 6 व 7)
न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी, मुकाम–भदेसर जिला चित्तौडगढ (राज0)
बईजलास – सुश्री अंजू शर्मा, आर0ए0एस0,

1. लच्छीराम पिता गमेर जी जाति जाट आयु 60 साल निवासी कोशीथल तह0 भदेसर जिला चित्तौडगढ

2. नारायण पिता भुवाना जाति जाट आयु 60 साल निवासी कोशीथल तह0 भदेसर जिला चित्तौडगढ मृतक के बजाय

2/1.श्रीमती गटटुबाई बेवा नारायण जी जाति जाट आयु 65 साल निवासी कोशिथल तह0 भदेसर जिला चित्तौडगढ राज0 (नाम हटाया गया)

2/2.उदयराम पिता नारायण जी जाति जाट आयु 45 साल निवासी कोशिथल तह0 भदेसर जिला चित्तौडगढ राज0 (नाम हटाया गया)

2/3.रतन पिता नारायण जी जाति जाट आयु 35 साल निवासी कोशिथल तह0 भदेसर जिला चित्तौडगढ राज0 (नाम हटाया गया)

2/4.श्रीमती देऊबाई पुत्री नारायण जी पत्नी रामेश्वर जी जाति जाट आयु 50 साल निवासी कोशिथल हाल मु0 गुल जी का खेडा तह0 भदेसर (नाम हटाया गया)

.........वादीगण

।। बनाम ।।

1. भैरूलाल पिता शंकरलाल जी जाति जाट आयु 25 साल निवासी कोशिथल तह0 भदेसर
2. मु0रतनी पिता शंकरलाल जी जाति जाट आयु 22 साल निवासी धनेत तह0 भदेसर राज0
3. मु0 पप्पुडी पिता शंकरलाल जी जाति जाट आयु 12 साल नाबालिग जरिये सरपरस्त माता मांगीबाई बेवा शंकरलाल जी जाति जाट आयु 55 साल निवासी कोशिथल तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर तहसील भदेसर

........प्रतिवादीगण

दावा– धारा 88,188 रा0का0अधि0वाद खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
प्रकरण सं0 129/2011

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला – चित्तौडगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.05 12:55:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौडगढ (राज.)

Scanned by TapScanner

वादी की और से वकील श्री सुरेन्द्रकुमार औझा, अनुराग औझा एवं प्रतिवादीगण की ओर से (कोई नहीं) की उपस्थिति में इस वाद को आज दिनांक 02.11.2020 .को न्यायालय के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर वादी का वाद अंतिम रूप डिकी किया जाता है कि मोजा कोशिथल तह0 भदेसर की खाता सं0 73 की आराजी नं0 106/1 रकबा 1 बिघा 17 बिस्वा लगानी 1.62 रूपये स्थित हैं, जिसके पडोस पूर्व में–वादीगण की दीगर आराजीयात, पश्चिम में भी वादीगण की दीगर आराजीयात, उत्तर में भगवान जी, मांगु जी जाट की आराजीयात व दक्षिण में– वादीगण का कुआ हैं। इन चारो पडोसो के बीच की भूमि जो 1 बिघा 17 बिस्वा भूमि के वादी क्रमांक 1 लच्छीराम की खातेदारी की घोषित की जाती है तथा राजस्व रेकार्ड में वादी लच्छीराम का नाम अमल दरामद किया जाने एवं प्रतिवादीगण का नाम विलोपित किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वो वादी के कब्जे काश्त में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे न करावे व आराजीयात खुर्द बुर्द हस्तांतरण नहीं करे न करावे व मौके कब्जे व रेकार्ड की यथावत स्थिति बनाए रखे। तहसीलदार भदेसर को आदेशित किया जाता है कि वो निर्णय डिक्री की पालना में राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें । खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें ।

यह आज दिनांक 02–11–2020 को डिग्री पर्चा मुर्तिब किया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर ★ जिला - चित्तौड़गढ़ ★

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, चित्तौड़गढ़

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर-चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.05 12:55:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner